



2026:AHC-LKO:20242

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1821/2026

इबरार

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), प्रमुख सचिव, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

 प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अमन कुमार गुप्ता, हेमंत त्रिपाठी

 विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 0019/2026 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत, थाना- बेवाना, जिला- अंबेडकर नगर में दर्ज मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में, प्रार्थी के विरुद्ध केवल एक मामला दर्शाया गया है, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा उसे जमानत प्रदान की जा चुकी है; इस तथ्य को जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र के प्रस्तर 6 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले के अतिरिक्त, प्रार्थी के विरुद्ध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है। प्रार्थी दिनांक 12.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

यह भी निवेदन है कि प्रार्थी, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन है कि प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन वे प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इन तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद कि प्रार्थी 12.2.2026 से जेल में निरुद्ध है; प्रार्थी को उस मामले में जमानत पर रिहा किया गया है जिसे गैंग चार्ट में दिखाया गया है, और जिसकी जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दायर शपथ पत्र के प्रस्तर 6 में विधिवत व्याख्या की गई है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी - **इबरार**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल है, को जमानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने होंगे। यह जमानत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, जो न्याय के हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- I. प्रार्थी सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- II. प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- III. प्रार्थी, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।



- IV. प्रार्थी को एक वचन पत्र देना होगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में मौजूद हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि अनुरूप आदेश पारित कर सकता है।
- V. प्रार्थी को उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचन-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह यह वचन देगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।
- VI. प्रार्थी को परीक्षण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो परीक्षण न्यायालय विधि अनुरूप उसके विरुद्ध कार्यवाई कर सकता है।
- VII. यदि प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भा.ना.सु.सं. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि अनुरूप, भा.न्या.सं. की धारा 209 के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

19 मार्च, 2026

शुक्ला